प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
  उत्तर प्रदेश।
- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
  जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय
  उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू/ब्लड सर्विसेज/2017–18/10702–2 दिनांक–18/01/18

विषय– जिला प्रशासन एवं आकांक्षा समिति के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान एवं भावी रक्तदाता पंजीकरण शिविर के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप सुविज्ञ है कि स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित रक्त होता है। प्रदेश सरकार सभी जरूरतमंदो को उच्च गुणवत्ता का सुरक्षित रक्त समय उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है जिससे रक्त की कमी से किसी भी जीवन का ह्रास न होने पाये। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर एवं अधिकाधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रक्तकोषों में रक्त की प्रचुर मात्रा सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्थानी रक्त पर निर्भरता कम की जा सकती है तथा जनमानस को आवश्यकता के समय बिना प्रतिस्थानी सुरक्षित रक्त व रक्त अवयव उपलब्ध कराया जा सकता है। रक्तकोषों में रक्त का प्रचुर भंडारण होने की स्थिति में गर्भवती माताओं, गम्भीर रूप से बीमार रोगियों, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, हीमोफीलिया/थैलीसीमिया जैसे रोगों से ग्रसित बच्चों को समय रक्त उपलब्ध कराकर नया जीवन प्रदान किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकानुसार प्रतिवर्ष किसी क्षेत्र में रक्त की आवश्यकता उसकी कुल जनसंख्या की 01 प्रतिशत होती है। इस आधार पर प्रदेश में कुल रक्त की आवश्यकता लगभग 23 लाख यूनिट प्रतिवर्ष की है जिसके सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश के समस्त रक्तकोषों (सरकारी एवं निजी) के द्वारा सामूहिक रूप से कुल लगभग 9.5 लाख यूनिट रक्त ही संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें मात्र 50 प्रतिशत रक्त ही स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रतिस्थानी रक्त संग्रहण के माध्यम को पूर्णतया विलोपित करते हुए वर्ष 2022 तक शत–प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से रक्त संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि जनमानस में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करते हुए समय–समय पर उन्हें विभिन्न प्रचार–प्रसार की गतिविधियों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रेरित किया जाय तथा भविष्य में स्वैच्छिक रक्तदान करने हेतु इच्छुक नवीन रक्तदाताओं को पंजीकृत करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली जाय जिससे आवश्यकता के समय रक्तदाताओं से सम्पर्क कर रक्त प्राप्त किया जा सके।

अवगत कराना है कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने व भावी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के पंजीकरण के क्रम में प्रदेश स्तर पर आगामी 07 से 09 फरवरी 2018 तक अभियान के रूप में समस्त राजकीय रक्तकोषों के सहयोग से जिला कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन एवं आकांक्षा समिति के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान प्रचार–प्रसार गतिविधि के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, भावी रक्तदाता पंजीकरण एवं रक्तदान हेतु रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिनमें निम्न गतिविधियाँ आयोजित की जानी है–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा रक्तकोष प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए रक्त की आवश्यकता का आंकलन करते हुए तथा रक्तकोष में रक्त भंडारण की क्षमता अनुरूप शिविर आयोजन की कार्ययोजना तैयार की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में संग्रहित रक्त यूनिटों का अपव्यय न होने पाये।

- शिविर आयोजन से पूर्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय बैठक आयोजित कर शिविर आयोजन की रूप रेखा तैयार की जाय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तकोष प्रभारी द्वारा शिविर आयोजन के मानकानुरूप जिलाधिकारी की सहमति से स्वैच्छिक रक्तदान हेतु एक सुसज्जित कक्ष की व्यवस्था कराई जाय।
- स्वेच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय जिससे अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करें कि शिविर आयोजन हेतु रक्तकोष की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर शिविर आयोजन तथा भावी रक्तदाता से सहमति प्राप्त कर पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित करें तथा पंजीकृत रक्तदाताओं की सूची जनपद की NIC की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाय जिसकी एक साफ्ट कापी SBTC एवं State Blood Cell पर भी प्रेषित की जाय।
- आकांक्षा समिति के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक रक्तदाता को स्वैच्छिक रक्तदान का प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाय।
- रक्तदान स्थल पर आवश्यकतानुरूप मण्डल स्तर पर उपलब्ध बी0सी0टी0वी0 का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- उक्त शिविर का आयोजन नियमित रूप से आयोजित किये जाने वाले रक्तदान शिविरों के निर्धारित मानकानुरूप/दिशा–निर्देशानुसार किया जाय।
- प्राथमिकता पर शिविर का आयोजन 07 फरवरी 2018 को प्रातः 10.00 बजे से शिविर समाप्ति तक किया जाय यदि। अपरिहार्य कारणों से यदि निर्धारित दिवस 07 फरवरी 2018 को शिविर का आयोजन न किया जा सके तो ऐसी परिस्थिति में शिविर का आयोजन 08 एवं 09 फरवरी में से किसी भी कार्यदिवस में अनिवार्यतः किया जाय।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व में इस अवसर पर प्रस्तावित उपरोक्तानुसार कार्यक्रम का सफल संचालन सम्भव हो पायेगा तथा अधिक से अधिक भावी रक्तदाताओं का पंजीकरण होगा जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आयोजित शिविर की विस्तृत सूचना फोटोग्राफ्स के साथ E-mail ID- bloodservices.issues.up@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू/ब्लड सर्विसेज/2017–18/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0,शासन।
2. महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उ0प्र0,महानिदेशालय।
3. महानिदेशक,परिवार कल्याण,परिवार कल्याण महानिदेशालय,उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अपने कुशल नेतृत्व में शिविर का सफल आयोजन कराने के आशय से।
5. निदेशक,राज्य रक्त संचरण परिषद,उ0प्र0,को सूचनार्थ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चि0स्वा0एवं परि0कल्याण,उ0प्र0 को सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, आकांक्षा समिति,लखनऊ।
8. सचिव, आकांक्षा समिति,लखनऊ।
9. समस्त प्रभारी ब्लड बैंक जनपदीय चिकित्सालय को उपरोक्तानुसार रक्तदान शिविर आयोजन हेतु।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
  उत्तर प्रदेश।
- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
  जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय
  उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू/ब्लड सर्विसेज/2017–18/ दिनांक– 18/01/18

विषय– जिला प्रशासन एवं आकांक्षा समिति के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान एवं भावी रक्तदाता पंजीकरण शिविर के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप सुविज्ञ है कि स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित रक्त होता है। प्रदेश सरकार सभी जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्ता का सुरक्षित रक्त समय उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिससे रक्त की कमी से किसी भी जीवन का ह्रास न होने पाये। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर एवं अधिकाधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रक्तकोषों में रक्त की प्रचुर मात्रा सुनिश्चित करते हुए प्रतिस्थानी रक्त पर निर्भरता कम की जा सकती है तथा जनमानस को आवश्यकता के समय बिना प्रतिस्थानी सुरक्षित रक्त व रक्त अवयव उपलब्ध कराया जा सकता है। रक्तकोषों में रक्त का प्रचुर भंडारण होने की स्थिति में गर्भवती माताओं, गम्भीर रूप से बीमार रोगियों, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, हीमोफीलिया/थैलीसीमिया जैसे रोगों से ग्रसित बच्चों को समय रक्त उपलब्ध कराकर नया जीवन प्रदान किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकानुसार प्रतिवर्ष किसी क्षेत्र में रक्त की आवश्यकता उसकी कुल जनसंख्या की 01 प्रतिशत होती है। इस आधार पर प्रदेश में कुल रक्त की आवश्यकता लगभग 23 लाख यूनिट प्रतिवर्ष की है जिसके सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश के समस्त रक्तकोषों (सरकारी एवं निजी) के द्वारा सामूहिक रूप से कुल लगभग 9.5 लाख यूनिट रक्त ही संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें मात्र 50 प्रतिशत रक्त ही स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रतिस्थानी रक्त संग्रहण के माध्यम को पूर्णतया विलोपित करते हुए वर्ष 2022 तक शत–प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से रक्त संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि जनमानस में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करते हुए समय–समय पर उन्हें विभिन्न प्रचार–प्रसार की गतिविधियों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रेरित किया जाय तथा भविष्य में स्वैच्छिक रक्तदान करने हेतु इच्छुक नवीन रक्तदाताओं को पंजीकृत करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली जाय जिससे आवश्यकता के समय रक्तदाताओं से सम्पर्क कर रक्त प्राप्त किया जा सके।

अवगत कराना है कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने व भावी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के पंजीकरण के क्रम में प्रदेश स्तर पर आगामी 07 से 09 फरवरी 2018 तक अभियान के रूप में समस्त राजकीय रक्तकोषों के सहयोग से जिला कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन एवं आकांक्षा समिति के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान प्रचार–प्रसार गतिविधि के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, भावी रक्तदाता पंजीकरण एवं रक्तदान हेतु रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिनमें निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी है–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा रक्तकोष प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए रक्त की आवश्यकता का आकलन करते हुए तथा रक्तकोष में रक्त भंडारण की क्षमता अनुरूप शिविर आयोजन की कार्ययोजना तैयार की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में संग्रहित रक्त यूनिटों का अपव्यय न होने पाये।

- शिविर आयोजन से पूर्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय बैठक आयोजित कर शिविर आयोजन की रूप रेखा तैयार की जाय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तकोष प्रभारी द्वारा शिविर आयोजन के मानकानुरूप जिलाधिकारी की सहमति से स्वैच्छिक रक्तदान हेतु एक सुसज्जित कक्ष की व्यवस्था कराई जाय।
- स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय जिससे अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करे कि शिविर आयोजन हेतु रक्तकोष की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर शिविर आयोजन तथा भावी रक्तदाता से सहमति प्राप्त कर पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित करें तथा पंजीकृत रक्तदाताओं की सूची जनपद की NIC की बेबसाइट पर अपलोड कराई जाय जिसकी एक सापट कापी SBTC एवं State Blood Cell पर भी प्रेषित की जाय।
- आकांक्षा समिति के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक रक्तदाता को स्वैच्छिक रक्तदान का प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाय।
- रक्तदान स्थल पर आवश्यकतानुरूप मण्डल स्तर पर उपलब्ध बी0सी0टी0वी0 का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- उक्त शिविर का आयोजन नियमित रूप से आयोजित किये जाने वाले रक्तदान शिविरों के निर्धारित मानकानुरूप/दिशा–निर्देशानुसार किया जाय।
- प्राथमिकता पर शिविर का आयोजन 07 फरवरी 2018 को प्रातः 10.00 बजे से शिविर समाप्ति तक किया जाय यदि। अपरिहार्य कारणों से यदि निर्धारित दिवस 07 फरवरी 2018 को शिविर का आयोजन न किया जा सके तो ऐसी परिस्थिति में शिविर का आयोजन 08 एवं 09 फरवरी में से किसी भी कार्यदिवस में अनिवार्यतः किया जाय।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व में इस अवसर पर प्रस्तावित उपरोक्तानुसार कार्यक्रम का सफल संचालन सम्भव हो पायेगा तथा अधिक से अधिक भावी रक्तदाताओं का पंजीकरण होगा जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आयोजित शिविर की विस्तृत सूचना फोटोग्राफस के साथ E-mail ID- bloodservices.issues.up@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू/ब्लड सर्विसेज/2017–18/10701-2-9 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0,शासन।
2. महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उ0प्र0,महानिदेशालय।
3. महानिदेशक,परिवार कल्याण,परिवार कल्याण महानिदेशालय,उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अपने कुशल नेतृत्व में शिविर का सफल आयोजन कराने के आशय से।
5. निदेशक,राज्य रक्त संचरण परिषद,उ0प्र0,को सूचनार्थ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चि0स्वा0एवं परि0कल्याण,उ0प्र0 को सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, आकांक्षा समिति,लखनऊ।
8. सचिव, आकांक्षा समिति,लखनऊ।
9. समस्त प्रभारी ब्लड बैंक जनपदीय चिकित्सालय को उपरोक्तानुसार रक्तदान शिविर आयोजन हेतु।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक